


मूलप्राप्ति



उत्तराखण्ड



लोक निर्माण विभाग

सिविल वृत्त लो.नि.वि., रुद्रप्रयाग,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
ऊखीमठ—रुद्रप्रयाग

वन भूमि
हस्तान्तरण पत्रावली

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत कुसुमगढ़ से औरिंग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

ग्राम:- औरिंग,

राजस्व उ.नि.क्षेत्र:- परकण्डी,

तहसील:- ऊखीमठ

जनपद :- रुद्रप्रयाग

क्षेत्रफल:- राज्य वनभूमि 1.155 हैं। मोटर मार्ग हेतु
राज्य भूमि - 0.625 हैं। मक इम्पिगं हेतु
कुल वनभूमि - 1.78 हैं।

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्रमांक संख्या	प्रपत्र का विषय	प्रधान संख्या	संलग्न है / नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी / ऑन-लाइन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	7A	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	8-12	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थीरता।	13-19	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फ़िल्ड में सम्पन्न संधृक्त निरीक्षण रिपोर्ट	20	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय बनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	21	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानवित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	22	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	23	संलग्न है	
8	गूगल मानवित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	24	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	25	संलग्न है	
10	गूगल मानवित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	23-24	संलग्न है	
11	वैकल्पिक सरेखण तलाशी जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	26-33	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	34	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	35-36	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	37	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	38	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	39	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार / व्यासवार विवरण।	40-44	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन / सारांश।	48-49	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	45	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	50		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है। वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	51	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	52-53	संलग्न है	
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	54A	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है।
25	राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	54B	संलग्न है	
27	लागत लाभ विश्लेषण। (5 हेठो से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हेठो से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	55-60	संलग्न है	

29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आवश्य।	61-64	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	65	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	66-67	संलग्न है	
34	मानक शर्त मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	68-69	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	70	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	71	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल / कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	72	संलग्न है	
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या / परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	73	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य / लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	74	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्रावक्लन मय मानवित्र। (1 हेतु से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)		संलग्न नहीं है	
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	83	संलग्न नहीं है	
42	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानवित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	77	संलग्न नहीं है	
43	रंगीन गूगल मानवित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	78-79	संलग्न नहीं है	
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण / पथ वृक्षारोपण / दस गुना / बौनी प्रजातियों / 100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्रावक्लन।		संलग्न है	
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।		संलग्न नहीं है	लागू नहीं है।
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	—	नहीं है	लागू नहीं है।
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानवित्र व उपचार कार्यों का प्रावक्लन।	84-89	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	90	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	91	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्रावक्लन।	92	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने / लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है।
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	93	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है।
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है।
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है।

फैक्ट सीट

1-परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत कुसुमगढ़ से औरिंग मोटर मार्ग का नव निर्माण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेएर में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
राज्य भूमि	1.155 मोटर मार्ग हेतु + 0.625 मक इम्पिंग हेतु = 1.78
नाप भूमि	0.315
वन पंचायत भूमि	शून्य
योग	2.095

3-प्रस्तावक विभाग का नाम -

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4-वन प्रभाग का नाम -

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

5-प्रस्ताव बांडिंग किया गया है-

हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ/नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है-

हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबन्धित वन संरक्षक का स्थलीय

निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम

करनें का प्रयास किया गया है-

हाँ/नहीं

- 13—समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है — हाँ / नहीं ✓
- 14—क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है— हाँ / नहीं
- 15—क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना, मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है — हाँ / नहीं ✓
- 16—क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है— हाँ / नहीं ✓
- 17—प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है— हाँ / नहीं ✓
- 18—क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है— हाँ / नहीं
- 19—प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरिडोर का हिस्सा है—
यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण—पत्र संलग्न है — हाँ / नहीं
- 20—क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है — हाँ / नहीं ✓
- 21—प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है—
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) — मार्ग नहीं
- 22—क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग—अलग रंगों से भरा गया है — हाँ / नहीं
- 23—यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है — हाँ / नहीं ✓
- 24—क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है — हाँ / नहीं ✓
- 25—यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। — उल्लंघन नहीं (हुआ)
- 26—सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं— हाँ / नहीं ✓
- 27—वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) — ✓

28- नागरिक वार्षा विभागोंमात्रा सामाजिक दाता गैंग कानून है-

(5.00 हैं से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) लागू हाँ

हाँ/नहीं

29-मानचित्र व वारचार्ट में एकरूपता है

हाँ/नहीं

30-मनवे के नियन्त्रण की गोन्नता मग मानचित्र प्रदिन प्रबन्ध है

हाँ/नहीं

अथवा

मनव के नियन्त्रण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र सलग्न है

हाँ/नहीं

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ सलग्न है

हाँ/नहीं

32-क्या प्रस्ताव में सलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में सलग्न हैं-
यदि छायाप्रतियाँ सलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं-

हाँ/नहीं

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र सलग्न है-

हाँ/नहीं

34-वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति सलग्न है-

हाँ/नहीं

35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

हाँ/नहीं

36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र सलग्न हैं-

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एंव चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ सलग्न कर दी गई हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोगनिवि०
ऊखीमठ, (छद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
(जागरात)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोगनिवि०
ऊखीमठ, (छद्रप्रयाग)

उप वन क्षेत्राधिकारी
छद्रप्रयाग वन प्रभाग
छद्रप्रयाग

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोगनिवि०
ऊखीमठ, (छद्रप्रयाग)

उप वन सरकार
छद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीयाधिकारी